निगरानी / टीए/3588/ 2004/ चित्तौडगढ
दाखी जरिये का.मु. बनाम गिरधारी सिंह जरिये का.मु.व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
06-08-25	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री ईश्वर देवडा, अभिभाषक प्रार्थी । अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित **आदेश** 1. हस्तगत् निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–6–04 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 एव आदेश 41 नियम 27 सीपीसी को खारिज किया गया है। प्रार्थी दाखी के फौत होने पर आदेशिका दिनांक 23–6–2017 से अप्रार्थी सं.4 शोभागसिंह को प्रार्थी दाखी के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। 2. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा चाहे गये संशोधन से मूल अपील की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर कोई तथ्य सहवन से अपील में लिखने से रह जाता है तो आदेश 6 नियम 16 व 17 सीपीसी के प्रावधान के तहत उसमें संशोधन करवाया जा सकता है। अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 जा. दी. प्रस्तुत कर प्रतिवाद पत्र की कलम संख्या 2 में 2क "कि आराजीयात मुतदाविया को वादीया ने दिनांक 25.2.1969 को हरकलाल महाजन को विक्रय कर दी थी जिससे कि आराजीयात मुतदाविया में वादीया का कोई राईट, टाईटल व इन्टरेस्ट नहीं रहता है न ही उसे बखशीश करने एवं वाद लाने का अधिकार है।" एवं कलम संख्या 12 के बाद 12क "आराजीयात मुतदाविया में श्यामसिंह, शोभाग सिंह का भी उक्त डिक्री 44/69 से हिस्सेदार होने से व अब बालिग हो जाने से वह भी आवश्यक पक्षकार है, बगैर उन्हें पक्षकार बनाये वाद चल नहीं सकता है।" उक्त तथ्य प्रतिवाद पत्र में संशोधन किये जाने का निवेदन किया। उक्त संशोधन प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीया ने आदेश 41 नियम 27 जा दी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विक्रय विलेख दिनांक 25.2.1969 की सत्य प्रति पेश कर उक्त दस्तावेज को साक्ष्य में महत्वपूर्ण मान उसे साक्ष्य में ग्राह्य किये जाने का निवेदन किया। अपील न्यायालय ने प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत आदेश 22 नियम 4 जादी के प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनकर अपने आदेश दिनाक 25.5.1995 के द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज कर अप्रार्थीगण संख्या 1 गिरधारी सिंह को राधी का वैध वारिस के रूप में प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	आदेश 6 नियम 17 एवं आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के प्रार्थना पत्र का जवाब अप्रार्थी सख्या 1 के द्वारा दिनांक 8.6.1995 को प्रस्तुत किया गया। राजस्व अपील अधिकारी के आदेश दिनाक 25.5.1995 के विरूद्ध प्रार्थीया ने माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 21.2.2002 के द्वारा प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर श्याम सिंह एवं शोभाग सिंह को लम्बित अपील में रेस्पोडेन्ट पक्षकार के रूप में जोड़े जाने का आदेश दिया। मंडल के निगरानी पर निर्णय के उपरान्त पत्रावली अपील न्यायालय के समक्ष पेश होने पर राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 21.2.2002 की पालना में श्याम सिंह एवं शोभाग सिंह को बतौर रस्पोडन्ट सख्या 4 व 5 पक्षकार बना अपील में अंकित किया गया। तदुपरान्त प्रार्थीया द्वारा पूर्व में प्रस्तुत आदेश 6 नियम 17 एवं आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के प्रार्थना पत्रों पर दोनों पक्षकारान की बहस सुनकर अवैधानिक तौर से अपने निर्णय दिनांक 25.6. 2004 के द्वारा अपीलांट/प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दोनों प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार किया। अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअदांज किया कि सीपीसी में प्रावधित विधिक प्रावधान अनुसार न्यायालय किसी भी पक्षकार के आवदेन पर अभिवचनों में संशोधन वाद के किसी भी प्रक्रम में करने की अनुज्ञा दे सकता है। वाद में अपील के स्तर पर भी संशोधन किया जा सकता है। आदेश 41 नियम 27 के तहत प्रस्तुत दस्तावेज लोक दस्तावेज होने से उन्हें रिकार्ड पर लिया जाना चाहिये था किंतु अपीलीय न्यायालय ने उसे भी खारिज कर दिया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 जाब्ता दीवानी तथा आदेश 41 नियम 27 को गलत खारिज किया है। अपीलीय न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण विधिक स्थिति को भी नजरअंदाज कर दिया कि सिविल प्रक्रिया संहिता(संशोधित) अधिनियम 2002 के प्रावधान लागू नहीं होने से पूर्व प्रस्तुत दावे/जवाब दावे पर संशोधित प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अतः निगरानी को स्वीकार किया जाकर आलोच्य आदेश निरस्त किया जावे। 3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। 4. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 एव आदेश 41 नियम 27 सीपीसी को राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ द्वारा आदेश दिनांक 25–6–04 से निरस्त किये से व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। अपीलीय न्यायालय ने प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी को खारिज करने का आधार यह लिया है कि वाद विचारण के दौरान भूमि का विक्रय कर दिये जाने से संशोधन की अनुमति दी जा सकती है। किंतु तथाकथित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	विक्रय पत्र 25–2–69 का है और वाद दिनांक 18–1–80 को पेश किया गया है, जिसके निर्णय के बाद अपील दिनांक 21–4–88 को दर्ज हुई। इसके बाद भी वर्ष 1994 में यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जबकि सीपीसी के आदेश 6 नियम 17 के परंतुक में यह प्रावधान है कि कोई भी संशोधन वाद में कार्यवाहीं प्रारम्भ होने के बाद स्वीकार नहीं किया जावेगा, जब तक न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जावे कि पक्षकारों की पूर्ण सतर्कता के बावजूद भी वे इस तथ्य को विचारण न्यायालय में नहीं उठा सके थे तथा ऐसा कोई कारण नहीं है कि वाद पंजीयन के करीब 24 वर्ष बाद एवं पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 25–2–69 के 35 वर्ष बाद वाद में संशोधन की स्वीकृति अपील के स्तर पर दी जावे। आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का आधार भी अपील दर्ज होने के 14 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत किया जाना एवं आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के आधार पर अंकित करते हुये खारिज किया गया है। विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने विवेक का सकारात्मक उपयोग कर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 एवं आदेश 41 नियम 27 सीपीस को खारिज किया है जिसमें निगरानी के माध्यम से उक्त आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में ऐसी कोई त्रुटि कारित नहीं की है जो कि अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत निगरानी के दायरे में आती हो। हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय ने अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुये ठोस एवं स्पष्ट कारण अंकित करते हुये खारिज किया है, वह पूर्णतः विधिसम्मत् है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 25–06–2004 में ऐसी कोई विधिक अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि कारित नहीं की गई है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत निगरानी सारहीन होने से खारिज योग्य है। 5. परिणामतः हस्तगत निगरानी एतद्द्वारा खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार नबंर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मदनलाल नेहरा)** **सदस्य**	